न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 342/2022

दायर दिनांक :– 06.12.2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/404

निर्णय दिनांक :– 10.10.2024

1. इनायतो पत्नी अब्दुल रहीम जाति मुसलान निवासी बापिणी तह. फलोदी जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–1. श्री आरूफ खांन अधिवक्ता प्रार्थी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आश्य से पेश किया है कि प्रार्थीया के नाम संयुक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि राजस्व गांव कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 956 रकबा 10.0038 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 997 रकबा 2.8490 हैक्टेयर की भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। जमाबंदी सम्वत 2076–2079 संलग्न प्रस्तुत है। प्रार्थी ने अपने संयुक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि राजस्व गांव कानासर के खसरा नम्बर 956 रकबा 10.0038 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 997 रकबा 2.8490 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश हल्का पटवारी से करवाने के लिए अप्रार्थी के पास एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अप्रार्थी तहसीलदार बाप ने हल्का पटवारी को पैमाईश का आदेश क्रमांक 560 व 561 दिनांक 17.11.2022 की अनुपालना मे पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाये जाने का आदेश दिया। पटवारी हल्का ने अप्रार्थी के आदेश की अनुपालना में उक्त खसरा की दिनांक 18.11.2022 को पैमाईश कर प्रार्थी को सीमाज्ञान करवाया व फर्द पैमाईश बनाई व मौजीज व्यक्तियों के फर्द पर हस्ताक्षर करवाये। हल्का पटवा[illegible] करवाने के बाद प्रार्थी के उक्त खेत में आये दिन आवारा पशु खे[illegible] पहुंचाते रहे है व प्रार्थी के फसले खसराब करते है इसलिए उनको [illegible] मय आर.आई. से खेत की फर्द पैमाईश अनुसार स्थयी पत्थर बढी कर स्थायी चिन्ह का[illegible] करने का आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ra
Pindel
Date: 2024.11.06 16:17:13 I
Reason: SelfAttested

10-10-24
[illegible]ण्ड अधिकारी
[illegible] (फलोदी)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर गिरदावर की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बाप द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि गांव कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 956 रकबा 10.0038 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 997 रकबा 2.8490 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का अपने हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि पैमाईश फर्द दिनांक 18.11.2022 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2076–2079, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त खसरा नम्बर 997 में प्रार्थीया 1/4 हिस्से एवं खसरा नम्बर 956 में 179/576 हिस्से की खातेदार है परन्तु उक्त दोनों खसरान की भमि में अन्य खातेदार भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थीया अपने हिस्से की तरमीम करवाकर राजस्व अभिलेख में खाता अलग कायम करवाने के पश्चात ही पत्थरगढी करवाने की हकदार है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha R
Pindel
Date: 2024.11.06 16:17:13
Reason: SelfAttested